



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-2262 / 2026

पंकज कुमार गुर्जर एलियास पंकज कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : मोहम्मद ओन

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता. की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस रिट याचिका में दिनांक 2.4.2024 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत अपराध संख्या 0099/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन- मऊ ऐमा, जिला- प्रयागराज में दर्ज की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, और इसलिए याचिकाकर्ता के संबंध में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत में उल्लिखित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315** के मामलों में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **आपराधिक अपील संख्या 843/2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नीरज त्यागी और अन्य के हालिया निर्णय में दिए गए निर्णयों के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध को उजागर करती है, हमारी राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

6. अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

7. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाए और उसका निपटारा किया जाए।

8. इन टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 17, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”